संख्या–5063 / 9–आ–1–शमन / 2000 (आ0ब0)

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–1 लखनऊः दिनाँक–29 दिसम्बर, 2000

विषय : शमन के केसों में प्राधिकरणों के द्वारा किये गये निर्णय के विरूद्ध होने वाली अपीलों का निस्तारण।

महोदय,

विकास प्राधिकरण द्वारा शमन हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु लिये गये निर्णयों से असन्तुष्ट होने की शिकायतों की संख्या शासन में निरन्तर बढ़ती जा रही है तथा इस हेतु अपने प्रकरण की पैरवी के लिए शिकायतकर्ता कई–कई बार शासन में लखनऊ आते रहते हैं जिसमें उनका समय नष्ट होने के साथ–साथ धन भी व्यय होता है। प्रक्रियाओं का सरलीकरण शासन की प्राथमिकताओं में है, अतः शिकायतकर्ताओं की असुविधा तथा उन पर आने वाले आर्थिक बोझ को ध्यान में रखते हुए श्री राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा–41 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन निम्न निर्देश देते हैं :–

1. अनाधिकृत निर्माण को नियमित करने के लिये शमन मानचित्र की स्वीकृति उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–32 सपठित धारा–15 के अन्तर्गत दी जाती है, अतः निर्णय से असन्तुष्ट होने की स्थिति में इन निर्णयों के विरूद्ध अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकती है। जिसके लिए निर्धारित आवेदन शुल्क के अतिरिक्त तकनीकी प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में रुपये एक हजार मात्र प्राधिकरण में जमा करना होगा।

2. अध्यक्ष तकनीकी बिन्दुओं पर अपनी सहायता के लिए मण्डल स्तर पर उपलब्ध नगर नियोजक या समकक्ष तकनीकी अधिकारी का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं अथवा उक्त अधिकारी के साथ अपनी इच्छानुसार शासन द्वारा गठित व्यक्तियों के पैनल में से किसी एक का चयन कर दोनों की एक समिति का गठन कर सकते हैं। वर्तमान में शासनादेश संख्या–2102 / 9–आ–1–2000 दिनांक 8.5.2000 द्वारा गठित पैनल में भी निम्न विशेषज्ञ हैं:–

(i) श्री ए0के0 पचौरी, सेवानिवृत्त, मुख्य वास्तुविद, आवास एवं विकास परिषद, ए–967 / 16 इन्दिरा नगर, लखनऊ। दूरभाष संख्या – 0522–343859,

(ii) श्री एम.एम.त्यागी, सेवा निवृत्त, मुख्य नगर नियोजक, प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा, सी–60 ए सेक्टर–सी, अलीगंज, लखनऊ, दूरभाष संख्या – 0522–320414

(iii) श्री वाई0के0 रहेजा, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, पालिका सेवा, 120 / 403 लाजपत नगर, कानपुर। दूरभाष संख्या –0512–216721,

(iv) श्री पी0सी0 मेहरोत्रा, सेवा निवृत्त, मुख्य अभियन्ता, प्राधिकरण सेवा, बी, 1 / 74, सेक्टर–बी, अलीगंज, लखनऊ। दूरभाष संख्या – 0522–320311

(v) श्री एन0आर0 वर्मा, अपर निदेशक आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश। इ.एच.–4, दिलकुशा कालोनी, लखनऊ। दूरभाष संख्या 0522–482254

(vi) श्री रूपेश जैसवाल, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, पालिका सेवा, 4/263, पत्तल वाली गली, जैन मन्दिर के पास, आगरा। दूरभाष संख्या–0562–364927

(vii) श्री शंकर नागदेव, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, प्राधिकरण सेवा 124 ए/180 ब्लाक–11, गोविन्द नगर, कानपुर–208006, दूरभाष संख्या 0512–651200,

(viii) श्री सी0पी0 अरोरा, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, पालिका सेवा, 111 ए/ 399, अशोक नगर कानपुर। दूरभाष संख्या – 0512–291289

3. अपीलकर्ता तथा प्राधिकरण दोनों ही अपना–अपना पक्ष अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करेंगे जिसपर अध्यक्ष या तो स्वयं अथवा समिति की सलाह पर विचारोपरान्त उस पर निर्णय लेंगे। आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष स्वयं अथवा उनके द्वारा गठित समिति स्थल का निरीक्षण भी कर सकती है जिसकी व्यवस्था सम्बन्धित विकास प्राधिकरण को करनी होगी।,

4. समिति की सहायता प्राप्त करने की दशा में समिति के उक्त पैनल, के सदस्यों को टी0ए0, डी0ए0 तथा पारिश्रमिक का भुगतान वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा इस विषय में समय–समय पर जारी शासनादेशों के आधार पर आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जायेगा। जिसकी प्रतिपूर्ति सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा आवास बन्धु को की जायेगी। व्यय भार कम करने के लिए आवश्यक होगी कि एक दिन में कम से कम पांच प्रकरणों का निस्तारण पैनलिस्ट करेंगे। अध्यक्ष भी कृपया इसकी दृष्टिगत तिथियां तय करेंगे।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या 5063 (1)/आ0ब0/नि0स0/आर्बी/2000'01 तददिनांक 29.12.2000

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण को इस अनुरोध के साथ कि वे शासनादेश की प्रतियां अपने नगर के सभी प्रतिष्ठित बिल्डर्स तथा आर्कीटेक्ट्स को उपलब्ध करा दें।
2. आवास विभाग के समस्त अनुभाग।
3. अपर निदेशक आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव